ई-मेल : ipmabharat@gmail.com
वेबसाइट : www.ipmabharat.com
दूरभाष : 9045011980
9105431980

IPMA BHARAT

भारतीय पराचिकित्सीय एसोसिऐशन

INDIAN PARAMEDICAL ASSOCIATION

(A Leading Association for Health Care Professionals)
Empowered by Indian Constitution Article 19(1)(C)

Office of the IPMA Bharat
C-77, Sector-2, Noida Gautam Buddha Nagar-201301

Ref No. 1324/2024
Date : 16/08/2024

प्रेषक :– आई0पी0एम0ए0 भारत सी–77, सैक्टर–2, नोएडा गौतमबुद्धनगर–201301

सेवा में,

1. योगेश सुरेश पाटिल संचालक महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण एवं प्रशिक्षण मण्डल, चौथी मंजिल, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुलूंड बाला साहिब ठाकुरवाडी, मीठागर रोड, मुलूंड पूर्व मुम्बई–400081

2. सचिव कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, द्वितीय तल, मंत्रालय मुम्बई–32

विषय :– **महाराष्ट्र राज्य मे संचालित शिक्षण संस्थाओ की जांच कराने हेतु पत्रांक क्र० का क्र० 01/2024/1246 दिनांक 24–07–2024 की तिथि से श्री योगेश सुरेश पाटिल संचालक के नाम व हस्ताक्षरो से जारी पत्र के साथ संलग्नक 122 शिक्षण संस्थाओ की जांच हेतु राज्य के नगर परिषद् प्रशासन को पत्र प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र निम्नवत् प्रेषित है :–**

महोदय,

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मण्डल का गठन किन उद्देश्यो के लिए किया गया है तथा उक्त प्रशिक्षण मण्डल के नियंत्रक मे किन शिक्षण संस्थाओ का संचालन होता है इसके सम्बन्ध में आपने अपने पत्र में बिना कोई उल्लेख किये पत्र के साथ 122 शिक्षण संस्थाओ की सूची संलग्न करके राज्य के आयुक्त सहित नगर परिषद प्रशासन को पत्र प्रेषित करके उक्त शिक्षण संस्थाओ की

जांच कराने हेतु निर्देश पत्र जारी किया है। चूँकि करीब 3 दर्जन शिक्षण संस्थाओ की ओर से संगठन को लिखित व मौखिक रूप से तथा दूरभाष द्वारा सूचित करके यह अवगत कराया जा रहा है कि आप अपने संस्थान मे निहित राज्य की शक्तियो का दुरूपयोग करके शिक्षण संस्थाओ मे अध्ययनरत विद्यार्थीयो/प्रशिक्षणार्थीयो के भविष्य के लिए खिलवाड कर रहे है। चूँकि उक्त शिक्षण संस्थाओ मे किन बिन्दुओ पर जांच की जानी है तथा आप किस अधिनियम के किन प्रावधानो के तहत जांच कराने के लिए पत्र लिखने हेतु अधिकृत है, इसका आपने पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है। आपने अपने पत्र के संदर्भ में जिन तीन अधिनियमो का उल्लेख किया है, जिनमे मान्यता से सम्बन्धित तथा महाराष्ट्र अधिनियम 2022 व महाराष्ट्र अधिनियम 2013 का उल्लेख किया है। उक्त प्रावधानो के अन्तर्गत किन शिक्षण संस्थाओ की जांच किन–किन बिन्दुओ पर आपको कराने का अधिकार हासिल है, आपने अपने प्रस्तावित पत्र मे इसका कोई उल्लेख नहीं किया है।

चूँकि दर्जनो शिक्षण संस्थाओ के संचालको ने आपके उक्त संस्थान के विरूद्ध यह शिकायत की है कि आप शिक्षण संस्थाओ के संचालको का शोषण व उत्पीडन करके जांच की आड मे अवैध धन उगाही करने के धंधे मे लिप्त है और इसलिए आपने अपने पत्र मे जांच के लिए प्रस्तावित बिन्दुओ का उल्लेख नही किया है तथा किन बिन्दुओ के कारण शिक्षण संस्थाओ मे अध्ययनरत विद्यार्थीयो अभ्यर्थीयो/प्रशिक्षणार्थीयो तथा स्टाफ अथवा कर्मचारियेा का कोई शोषण व उत्पीडन हो रहा है अथवा उनकी जान व माल की सुरक्षा हेतु वांछित किन दिशा निर्देशो की आवश्यकता है और आपकी नजर मे प्रस्तावित 122 शिक्षण संस्थाओ मे किन चीजो की कमी है जिस पर आपके संगठन को पीडित व्यक्तियो ने शिकायत की है, जिसके आधार

पर आप जांच कराने के लिए शासन एवं प्रशासन को पत्र प्रेषित कर रहे है आपके पूरे पत्र मे इसका कोई खुलासा नही है।

चूँकि शिक्षण संस्थाओ के संचालको ने यह शिकायत की है कि आप प्रत्येक वर्ष अवैध धन उगाही के लिए शासन प्रशासन को अपने संस्थान की ओर से पत्र प्रेषित करके छात्रहित व जनहित को दृष्टिगत रखते हुये जो शिक्षण संस्थाये महाराष्ट्र राज्य मे कार्य कर रही है, उन पर आप अनैतिक व अवैधानिक दबाव डालकर जांच के नाम पर अवैध धन उगाही करने की योजना को कृतार्थ करते है।

चूँकि उपरोक्त संगठन पैरामैडिकल स्वास्थ्य सेवाओ मे अध्यनरत अथवा अध्यापनरत अथवा शिक्षण संस्थान के संचालको उसमे सेवा दे रहे स्टाफ व कर्मचारियो के हित को सर्वोपरि मानते हुये उनके शोषण व उत्पीडन को रोके जाने के लिए गैर सरकारी, सरकारी शासन प्रशासन के अवैधानिक व अनैतिक कृत्यो के विरूद्ध राज्य स्तर पर व माननीय सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके जांच के नाम पर शिक्षण संस्थाओ व उनके संचालको तथा उसमे अध्यनरत अभ्यर्थीयो व प्रशिक्षणार्थीयो पर अनैतिक व अवैधानिक दबाव डालकर जो अवैध धन उगाही करने के हथकंडे अपनाये जा रहे है उन पर रोक लगाने के लिए संगठन प्रतिबद्ध है। लेकिन आपके उक्त पत्र पर उत्पीडात्मक कार्यवाही को रोके जाने के लिए सक्षम कार्यालय एवं न्यायालय, शासन एवं प्रशासन को पत्र प्रेषित करने तथा उसके विरूद्ध आवाज बुलंद करने से पहले हम संगठन की ओर से यह अपना नैतिक व वैधानिक दायित्व व कर्तव्य समझते है कि आपसे पत्र के माध्यम से सम्पर्क स्थापित करके निम्नांकित बिन्दुओ पर जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही संगठन की आगामी बैठक मे आपके द्वारा प्रेषित किये गये पत्रोत्तर के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके

ताकि जनहित के क्रियाकलापो में कोई भी सरकारी व गैर सरकारी संस्था अधिकारी व शासन तथा प्रशासन के प्रतिनिधि शिक्षण संस्थाओ के संचालन मे तथा उनमे अध्यनरत व सेवारत शिक्षक कर्मचारियो व प्रशिक्षणार्थीयो के मार्ग मे बाधा उत्पन्न न कर सके उन बाधाओ पर रोक लगाने के लिए संगठन अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुये आपको पत्र प्रेषित कर रहा है।

चूँकि शिकायतकर्ताओ ने यह भी लिखित व मौखिक शिकायत की है कि आप पत्र के साथ संलग्नक 122 शिक्षण संस्थाओ की जांच कराने की आड मे राज्य मे अन्य जो शिक्षण संस्थाये संचालित है उन पर दबाव बनाकर उक्त पत्र की आड मे उनसे अपनी संस्था की सम्बद्धता लेने के लिए उन्हें बाध्य कर रहे है तथा उन पर अवैध हथकंडे अपनाकर उनको आपकी संस्थान से सम्बद्धता/मान्यता लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जो कि शिक्षण संस्थाओ की उन्नति व विकास मे बाधा साबित होगी और हम संगठन के माध्यम से ऐसी बाधाओ को दूर करने के लिए तथा अपने संगठन के सदस्यो के हितो को सर्वोपरि मानते हुये आपको पत्र प्रेषित करके पुनः यह आग्रह कर रहे है कि आप निम्नांकित बिन्दुओ पर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने की कृपा करे।

1. **शिक्षण संस्थाओ मे किन बिन्दुओ की कमी है जिन पर जांच प्रस्तावित है।**
2. **क्या उक्त शिक्षण संस्थान आपकी संस्था द्वारा संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रम/कोर्स को संचालित कर रहे है, जिनकी सम्बद्धता आपके संगठन से लेनी अनिवार्य है। या आप उन्हे ऐसे पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से प्रस्तावित जांच की श्रेणी मे ऐसी शिक्षण संस्थाओ को जानबूझकर नाजायज**

उद्देश्यो की पूर्ति के लिए शामिल कर रहे है ताकि इन संस्थाओ की सूची की आड मे महाराष्ट्र मे संचालित अन्य शिक्षण संस्थाये भी आपसे सम्बद्धता/मान्यता लेने के लिए मजबूर हो जाये।

3. क्या इन संस्थाओ के विरूद्ध किसी पीडित व्यक्ति, संगठन, संस्था की ओर से आपको शिकायत की गयी, जिसके आधार पर आप जांच कराने के लिए शासन प्रशासन व स्थानीय प्रशासन को पत्र जारी कर रहे है या स्वयंभू अपने नाजायज उद्देश्यो की पूर्ति के लिए जांच का हव्वा खडा करके अन्य शिक्षण संस्थाओ को आपके संगठन से सम्बद्धता व मान्यता लेने के लिए बाध्य करना चाहते है।

4. प्रस्तावित शिक्षण संस्थाओ से स्टाफ, कर्मचारियो व उसमे अध्यनरत प्रशिक्षणार्थीयो के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव पड रहा है जिनकी शिकायत के आधार पर आप इन संस्थाओ की जांच कराने के लिए पत्र लिख रहे है।

अतः आपको पत्र प्रेषित है, ताकि आप पत्र मे उठाये गये बिन्दुओ पर स्पष्टीकरण देते हुये आपके पत्र के साथ संलग्नक 122 शिक्षण संस्थाओ की जांच की आड में महाराष्ट्र राज्य में उपरोक्त संगठन से जुडे सदस्यो के हितो को प्रभावित बिना किये अपने संगठन का विस्तार करे। अन्यथा की स्थिति मे स्पष्टीकरण प्राप्त ना होने पर संगठन को अपने सदस्यों, संस्थाओ के हितो की रक्षा करने के लिए सक्षम न्यायालय राज्य एवं कार्यालय में आवाज बुलंद करने के लिए बाध्य होना पडेगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष / President
Indian Paramedical Association
भारतीय पराचिकित्सीय एसोसिएशन
मुख्य कार्यालय. सी–77, सैक्टर–2
नोएडा गौतमबुद्धनगर भारत
Ph.-9045011980, 9105431980
Email-ipmabharat@gmail.com
Website-www.ipmabharat.com

भवदीय

रि0 कर्नल वी0पी0 तोमर

प्रतिलिपि :–

1. मा0 आयुक्त नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, 7 वां तल, बेलापुर भवन, सी0बी0डी0 बेलापुर, रेलवे स्टेशन जवल (पु) नवी मुम्बई–400197
2. प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र आई०पी०एम०ए भारत।
3. प्रदेश उपाध्यक्ष महाराष्ट्र आई०पी०एम०ए भारत।
4. मण्डल अध्यक्ष पुणे महाराष्ट्र आई०पी०एम०ए भारत।
5. मण्डल अध्यक्ष मराठवाड़ा महाराष्ट्र आई०पी०एम०ए भारत।

राष्ट्रीय अध्यक्ष / President
Indian Paramedical Association
भारतीय पराचिकित्सीय एसोसिएशन
मुख्य कार्यालय. सी–77, सैक्टर–2
नोएडा गौतमबुद्धनगर भारत
Ph.-9045011980, 9105431980
Email-ipmabharat@gmail.com
Website-www.ipmabharat.com

भवदीय

रि0 कर्नल वी0पी0 तोमर

राष्ट्रीय सचिव / National Secretary
Indian Paramedical Association
भारतीय पराचिकित्सीय एसोसिएशन
मुख्य कार्यालय: सी–77, सैक्टर–2
नोएडा गौतमबुद्धनगर भारत
Ph.-9045011980, 9105431980
Email-ipmabharat@gmail.com
Website-www.ipmabharat.com